भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2915

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों की आय को दोगुना करने का उद्देश्य

2915. श्री अभिषेक बनर्जीः

डा. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान जिन किसानों की आय दोगुनी हुई उनका ब्यौरा क्या है तथा उनकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) कुल आबंटित 22000/- करोड़ रुपए में से आन्ध्र प्रदेश राज्य को दी गई ब्याज राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। किसानों की समग्र आय और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आरंभ की गईं प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)

8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण से अपनी आय दोगुनी से भी अधिक कर ली है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रूपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रूपए हो गया है।

(ग): सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं

के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का एक अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जो प्रभावी रूप से ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर देता है।

आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि, यदि संबद्ध गतिविधियों (जैसे पशुपालन) के लिए अल्पकालिक ऋण लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है।

एमआईएसएस एक मांग-आधारित योजना है, तथा आईएस और पीआरआई सभी पात्र और इच्छुक किसानों को प्रदान की जाती है। एमआईएसएस के तहत, राज्य सरकारों या किसानों को कोई प्रत्यक्ष निधि/सब्सिडी जारी नहीं की जाती है। विभिन्न बैंकों से इस योजना के तहत प्राप्त दावों के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को निधि जारी की जाती है।

पिछले पाँच वर्षों के लिए एमआईएसएस के तहत बजट आवंटन और निधियों का वितरण:

क्र.सं.	**वर्ष**	**बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)**	**संवितरण (रुपए करोड़ में)**
1	2019-20	18,000.00	16,218.75
2	2020-21	21,175.00	17,789.72
3	2021-22	19,468.31	21,476.93
4	2022-23	19,500.00	17,997.88
5	2023-24	22,000.00	14,251.93

*****